निगम ने एक ही दिन में की 4 बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण पर भिलाई निगम का शिकंजा, दक्षिण गंगोत्री जैसे प्राइम लोकेशन में किए गए कब्जे को कराया गया खाली

भिलाई नगर/ आज निगम भिलाई के विशेष दस्ता , राजस्व विभाग की टीम एवं तोड़फोड़ दस्ता ने भिलाई शहर में अवैध अतिक्रमण , अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण के खिलाफ चार स्थानों पर अभियान चलाते हुए कार्यवाही की! दक्षिण गंगोत्री के प्राइम लोकेशन में किए गए कब्जे को भी हटाया गया! आवेदक वैभव विरवानी ने कलेक्टर एवं भिलाई निगम के प्रशासक डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते हुए दक्षिण गंगोत्री में स्थित निगम के रिक्त प्लाट पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी! आवेदन प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर त्वरित कार्यवाही करते हुए स्थल को कब्जा मुक्त कर दिया गया! विशेष दस्ता के नोडल अधिकारी सुनील अग्रहरी के नेतृत्व में निगम की टीम ने दक्षिण गंगोत्री से निगम के रिक्त भूखंड से अतिक्रमण को खाली कराया! दक्षिण गंगोत्री में लगभग 450 स्क्वायर फीट निगम का रिक्त भूखंड है जो कि एवन इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजू में ब्लॉक नंबर 3 और प्लॉट नंबर 19 में स्थित है! इस स्थान पर मोहम्मद रफीक के द्वारा टीन शेड डालकर कब्जा कर रहा था , जबकि यह प्लांट दक्षिण गंगोत्री योजना अंतर्गत आबंटित भूखंड के बीच में निगम का रिक्त प्लाट है! यही नहीं अवैध कब्जाधारी ने प्लाट को हथियाने के लिए इस प्लाट का संपत्तिकर भी जमा कर दिया था , जब यह मामला संज्ञान में आया तो निगम ने इसकी छानबीन की और मौके पर संपत्तिकर स्वनिर्धारण विवरणी का स्थल पर परीक्षण/निरीक्षण कराया! परीक्षण में भूखंड/भवन भू-स्वामित्व से संबंधित कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ, तब 24 दिसंबर 2020 को संपत्तिकर हेतु जारी आईडी को निरस्त करते हुए एवं जमा राशि 60604 रुपए को राजसात किया गया था!

अवैध कब्जा, अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण पर तीन अन्य स्थानों पर हुई कार्रवाई दक्षिण गंगोत्री के अलावा अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के निर्देश पर खुर्सीपार क्षेत्र के तीन स्थानों पर कार्रवाई की गई! श्री राम चौक के पास इंग्लिश मीडियम स्कूल के समीप एक व्यक्ति द्वारा होटल व्यवसाय के लिए टीन शेड से घेर लिया था तथा वहीं पर नाश्ता आदि विक्रय के लिए एक अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से ठेला स्थापित कर लिया था! इन दोनों स्थानों से अवैध निर्माण को तोड़कर खाली कराया गया! खुर्सीपार गेट हाईवे से लगे हुए सर्विस रोड किनारे एक व्यक्ति द्वारा 4 फीट ऊंची दीवार बनाकर मकान का अतिरिक्त निर्माण कर रहा था , इसे भी ध्वस्त किया गया! संपूर्ण करवाई में एक जेसीबी

का उपयोग किया गया! इस दौरान विशेष दस्ता के बालकृष्ण नायडू , सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे, तोड़फोड़ दस्ता के मंगल, चेतू, कन्हैया, गौकरण एवं राजेंद्र आदि उपस्थित रहे!